अंतरिम कार्यवाही दिनांक 15.05.18

अभियुक्त वीरेंद्र सिंह राणा की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई बावत् आवेदन पत्र पर से बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

> परिवादी पक्ष की ओर से श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त सहित श्री सुनील कांकर अधिवक्ता उपस्थित।

श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र धारा 44 (2) द0प्र0सं0 का वकालतनामा सहित पेश कर अभियुक्त वीरेंद्र सिंह राणा की पहचान करते हुये उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत निवेदन उचित प्रतीत होने से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी होने की दशा में अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये।

अभियुक्त की ओर से एक आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 का पेश किया गया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी जाकर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया, जबकि परिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि प्रकरण में परिवादी कंपनी की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आज प्रथम बार स्वतः उपस्थित हुआ है एवं प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना एवं अभियुक्त मजदूर पेशा होकर गरीब व्यक्ति होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आलोक में आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि निम्न शर्तों सहित अभियुक्त की ओर से 20000/—बीस हजार रूपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे अभिरक्षा से उन्मुक्त किया जावे अन्यथा विधिवत जेल भेजा जावे।

<u>शर्ते:-</u>

1.अभियक्त नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा। 2.अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति हो जाने से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 04.08.18 एतद द्वारा निरस्त की जाती है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 12.06.18 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश विधृत